सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/30 दर्ज तिथिः–09.04.2024

1. ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां जाति जाट निवासी गिनड़ी पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र डूडी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 350/140/2.9466 हैक्ट. व 353/143/2.2131 हैक्ट. वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 11 है तथा पुराने खाता संख्या 8 है। उक्त कृषि भूमि वादी के ही हक, अधिकार व स्वामित्व में चली आ रही है।

उक्त विरासतन इंतकाल में वादी का नाम ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां की जगह ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम त्रुटीवश दर्ज हो गया है, वादी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पूनियां है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादी को ओमप्रकाश पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम ओमप्रकाश अंकित हो गया। वादी का नाम जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में वादी ओमप्रकाश का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पूनियां है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, कक्षा 10 की अंकतालिका आदि में उसका सही नाम ओमप्रकाश पूनियां [illegible] से वादी को सरकारी व गैरसरकारी योजनाएं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही [illegible] मिल पा रहा है। वादी ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया [illegible] नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार, चूरू से [illegible] 15.03.2024 को एक [illegible] पत्र भी दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested

पर तहसीलदार ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 15.03.2024 को वादधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है। वादी ने दिनांक 15.03.2024 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होंने नाम में संशोधन नहीं करने व न्यायालय में दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

वादगत भूमि रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. भू.अ.नि. क्षेत्र दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित है जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को है। उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खसरा संख्या 350/140/2.9466 हैक्ट. व 353/143/2.2131 हैक्ट. रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. भू.अ.नि. क्षेत्र दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.) में खातेदार ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम की जगह ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावें। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा भू.अ.नि. दूधवाखारा व पटवारी हल्का लालासर बणी. से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि जमाबन्दी ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के खसरा संख्या 350/140, 353/143 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम दर्ज है। उक्त नाम विरासतन नामान्तरकरण में दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात जन आधार, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में नाम ओमप्रकाश को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर ओमप्रकाश के बजाय दस्तावेजों के अनुसार ओमप्रकाश पूनियां शुद्ध करवाना चाहा गया है। ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के मजमें आम में उपस्थित ... के अनुसार ओमप्रकाश व ओमप्रकाश पूनियां एक ही व्यक्ति के नाम है। दोनों ... वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित बिन्दओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम के कारण वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested

नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। वादीगणों के सही नाम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को भी इस संबंध में कोई उज्र एतराज नहीं है।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के खसरा संख्या 350/140, 353/143 में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम दर्ज है। उक्त नाम विरासतन नामान्तरकरण में दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात जन आधार, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैकेण्डरी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में नाम ओमप्रकाश को शुद्ध नहीं बताया गया। दावे में उक्त नाम संशोधन कर ओमप्रकाश के बजाय दस्तावेजों के अनुसार ओमप्रकाश पूनियां शुद्ध करवाना चाहा गया है। ग्राम गिनड़ी पट्टा राजपुरा के मजमें आम में उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार ओमप्रकाश व ओमप्रकाश पूनियां एक ही व्यक्ति के नाम है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 350/140/2.9466 हैक्ट. व 353/143/2.2131 हैक्ट. वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. तहसील व जिला चूरू (राज.) पूर्ण हिस्सा में अंकित वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम खातेदार के स्थान पर ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/30 दर्ज तिथिः–09.04.2024

1. ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां जाति जाट निवासी गिनड़ी पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री सुरेन्द्र डूडी
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत घोषणात्मक के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है किः–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 350/140/2.9466 हैक्ट. व 353/143/2.2131 हैक्ट. वाके रोही गिनड़ी पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी, तहसील व जिला चूरू (राज.) हिस्सा पूर्ण वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम खातेदार के स्थान पर ओमप्रकाश पूनियां पुत्र छोगाराम पूनियां अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20 माह नवम्बर सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested